## Speed post/ त्रिव डाक

भारत सरकार खानमंत्रालय भारतीय खान ब्युरो क्षेत्रीय खाननियंत्रीयक का कार्यालय माखूपुरा ओद्योगिक क्षेत्र, अजमेर ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in





## Violation letter/उल्लंघन पत्र

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्याः MCDR-MiFL0LST/4/2022-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक% 08/12/2022

प्रेषित: खान एजेंट,

लाम्पिया आइरन ओर खान, मेसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड,

अराजी नंबर 9697/6711, नियर तिरंगा हिल्स, गाव: प्र, जिला: भीलवाड़ा- 311802

राजस्थान. (e-mail: <u>dinesh.patil@jindalsaw.com</u>)

विषयः राजस्थान राज्य के चित्तोडगढ़ जिले में स्थित आपकी लाम्पिया आइरन ओर खान, क्षेत्रफल 433.1033 हेक्टेर में खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 03 /11 /2022 by undersign in presence of your good-self, Sri Sunil Kumar Trivedi, Mine Manager & Mining Engineer and Sri Srinu Babu, Geologist of your Mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to the Modified Mining Plan
	approved on 18/01/2022 to the extent given below:
	(1) Retaining wall and garland drain each of 197 meter has not been constructed as
	proposed along waste dump-2.
	(2) Mineral Stacking was proposed between grid lines E463800 to 464114 and N2814420 to
	2814588, whereas the mineral stacking has been observed between the grid lines E463800 to
	464254 and N2814420 to 2814690, resulting deviation in proposed location of mineral
	stacking.

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
  - (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।
  - (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
  - (ग) राज्य सरकार को खनन पटटे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन) वरिष्ठ खनन वैज्ञानिक भारतीय खान ब्युरो, अजमेर

## प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

- 1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्युरो, उदयपुर। (email द्वारा)
- 2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3. खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, भीलवाड़ा।
- 4. रक्षित पत्रवली।

वरिष्ठ खनन वैज्ञानिक भारतीय खान ब्युरो, अजमेर